

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/नियुक्ति/13-14

जयपुर, दिनांक 19 SEP 2013

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिये लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश दिनांक 24.05.2013 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिये, कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

क.म.	लोकपाल का नाम व पता	जन्म तिथि	जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री कैलाश चन्द्र टेलर पुत्र श्री भंवर लाल टेलर, 1/50 पंचशील नगर, हाउसिंग बोर्ड मकडवाली रोड अजमेर राज - 30504	15.03.1952	भीलवाड़ा
2	श्री पूरणचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता, राम नगर कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पास, राजगढ़ जिला अलवर।	30.05.1952	भरतपुर
3	श्री जण्डैलसिंह गुर्जर पुत्र श्री पीतम सिंह, सद-बुद्धि सदन, गुर्जर निवास, राधा बिहारी रोड धौलपुर	04.09.1952	धौलपुर
4	श्री सुशील कुमार सिंधवी स्व. पुत्र श्री एस एम सिंधवी, 92 बी, अम्बामाता स्कीम उदयपुर	09.07.1952	डूंगरपुर
5	श्री रामकिशन पुत्र श्री अन्नाराम, वार्ड 19, कजाउ कॉलोनी, साहब बस अड्डा के पास, नोहर जिला हनुमानगढ़	01.01.1953	हनुमानगढ़
6	श्री सवाई सिंह सांसी पुत्र श्री मुकंदराम, ए-1, आदर्श बस्ती, एफ. सी.आई. गोदाम के सामने, झुंझुनू	01.09.1952	झुंझुनू
7	श्री मांगीलाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल, प्रिंस स्कूल के पास, कारगेटिया रोड, जैतारण जिला पाली	02.01.1955	पाली
8	श्री सुनिलकांत गौतम पुत्र श्री बद्रीप्रसाद गौतम सी-2-101, कमल अपार्टमेंट, बनीपार्क, जयपुर।	14.01.1952	करौली
9	श्री बद्री प्रसाद मीणा पुत्र श्री अगंदराम मीणा, 38, अर्जुन नगर साउथ, गोपालपुरा जिला जयपुर 302015	02.07.1951	सवाईमाधोपुर

इन चयनित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिलों के लिये लोकपाल पद पर नियुक्ति, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित लोकपाल दिशा-निर्देश दिनांक 24.05.2013 के बिन्दु संख्या 2.2.11 में उल्लेखित समयवधि दो वर्ष के लिये, जो एक वर्ष के प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर एक-एक वर्ष के लिये दो बार और बढ़ाई जा सकेगी अथवा 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगी, के लिये की जाती हैं। आपसे आशा की जाती है कि अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा-निर्देश के अध्याय तीन के अनुरूप निभायेगे। इन व्यक्तियों की नियुक्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संशोधित लोकपाल दिशा-निर्देश दिनांक 24.05.2013 में उल्लेखित अन्य शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश दिनांक 24.05.2013 के बिन्दु संख्या 2. 2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर, असंतोषजनक प्रदर्शन पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

लोकपाल हेतु नियुक्त व्यक्ति अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाएँ।

भवदीय-



(कुलदीप रांका)


आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रा.वि मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
8. निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग कृषि भवन, जयपुर राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संभागीय आयुक्त अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, व उदयपुर।
2. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस भीलवाडा, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, करौली, एवं सवाईमाधोपुर।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, करौली, एवं सवाईमाधोपुर।
4. संबंधित लोकपाल श्री.....
5. जन सम्पर्क अधिकारी ईजीएस जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार ईजीएस जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस